घरेलू हिंसा निवारण एवं कानून

*डॉ. श्रीमती कामिनी जैन** डॉ. श्रीमती संगीता अहिरवार ***श्वेता धाकड़

शोधपत्र-गृहविज्ञान

महिलाओं के विरूद्ध उनके उत्पीड़न,हिंसा,अन्याय,उपेक्षा एवं उनके मानव अधिकारों के उल्लघंन को रोकने के लिए निरंतर कानून बनाये जाते रहे है, और उनमें समानुकूल संशोधन किये जाते रहे है इन वि ायों पर कानूनों का बाहुल्य भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों के निरंतर हास को उजागर करता है। महिलाओं की मर्यादा का अपमान करना एक अपराध है जिसके किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 354 के अन्तर्गत दो साल की सजा या जुर्माना या दोंनों का दण्ड एक साथ दिया जा सकता है कोई भी व्यक्ति किसी महिला को डराने,तंग करने या चोट पहुॅंचाने की नीयत से ारीरिक बल का प्रयोग करता है तो वह उपरोक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा।

घरेलू हिंसा का अर्थ–1. ऐसी कोई भी हरकत या व्यवहार जो कि महिला के ारीर या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होकर दर्द या चोट पहुंचाये या उसकी जिन्दगी के लिए खतरा पैदा करे। 2. ऐसा कोई भी आपत्तिजनक व अनचाहा यौनिक व्यवहार या हरकत जो महिला को ारीरिक क ट दे या अपमानित करे या उसके मान सम्मान पर चोट पहुंचाये। 3. ऐसा कोई भी व्यवहार जो महिला या उसके रिश्तेदारों को दहेज अथवा अन्य संपत्ति या बहुमूल्य वस्तुओं के लिए परेशान करने की नीयत से किया जाये जिसमें शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान या खतरा पहुॅंचता हो। 4. किसी भी प्रकार की बेइज्जती,डराना – धमकाना, हंसी उड़ाना,गाली देना उल्टे सीधे नाम या ताना देना (खासतौर पर संतान या बेटा न होने पर) या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में तकलीफदेह व्यवहार या टिप्पणी करना महिला का भावानात्मक जुड़ाव हो। 5. ऐसी समस्त घरेलू संसाधन व सुविधाएँ जिसकी महिला व उसके बच्चे को जरूरत हो एवं जिस पर उनका अधिकार बनता हो, पर नियंत्रण एवं उससे वंचित रखना। चाहे वो सम्पत्ति घरेलू सुविधाओ से संबंधित हो, स्त्री धन हो, व्यक्तिगत या साझी सम्पत्ति हो या साझे घर का किराया एवं रखरखाव हो या भरण पोषण हो।

घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक 2002

व्यापक रूप से प्रचलित ऐसी घरेलू हिंसा जो मोटे तौर पर दिखाई नही देती है पर ध्यान देने के उद्देश्य से विभाग ने लोक सभा 8 मार्च 2002 को घरेलू हिंसा से संरक्षण विधेयक 2002 पुनः स्थापित किया था।

महिलाओं का घरेलू हिंसा से बचाव कानून 2005

घरेलू हिंसा से बचाव कानून 2005 क्या है ?

यह एक दिवानी कानून (CIVIL LAW) है, जिसका मकसद घरेलू रिश्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल व आपातकालीन राहत पहुॅंचाना है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसी भी महिला को हिंसामुक्त घर में रहने का अधिकार दिलाना है।

हमारे इस समाज में महिलाओं के लिए न मायके में कोई जगह ना ससुराल में। यही कारण है कि महिलायें सिर छुपाने के लिए छत और पैर टिकाने के लिए जमीन के एवज मे बहुत से अनचाहे समझौते करती रहती है। यह भारत में पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने (चाहे मायका हो या ससुराल) में रहने का अधिकार देता है।(Right To Reside In Shared Household)▪

इस कानून की विशेषतायें–यह हमारे देश का पहला ऐसा कानून है जो घरेलू हिंसा को कानूनी मान्यता देता है। यह कानून महिला के मौलिक अधिकारों के दायरों को सुनिश्चित करते हुए बिना किसी डर के सम्मानजनक जीवन जीने का आधार देता है। यह कानून घरेलू हिंसा को महिला के मानव अधिकारों के हनन के रूप में देखता है। यह कानून घरेलू हिंसा को रोकने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार को जबावदेह व

* प्राध्यापक गृहविज्ञान, शास. गृहविज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद
** सहायक प्राध्यापक गृहविज्ञान, शास. कुसुम महाविद्यालय सिवनी मालवा
*** शोध छात्रा, म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल

जिम्मेदार ठहराता है। अर्न्तराष्ट्रीय समझौंतों पर खरा उतरना है एवं उसकी पैरवी भी करता हैं। यह हमारे देश का पहला कानून है जो महिला के घर (मायका,ससुराल दोंनों) में रहने के कानूनी अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस कानून से पारिवारिक रिश्तों में रहते हुए किसी भी लड़की/महिला चाहे वह बेटी, बहन, पत्नी, साथी, दूसरी औरत या मॉं के रूप में हों, कानूनी मदद हाासिल कर सकती है। यानि इस कानून का इस्तेमाल एक ही छत के नीचे रहने वाले बाप, बेटा, भाई, दोस्त या पति द्वारा किये जाने वालें हिंसात्मक व्यवहार के खिलाफ बचाव के लिये सुरक्षा कवच के रूप में किया जा सकेगा।इस कानून के अनुसार – महिला के साथ हुई घरेलू हिंसा के साक्ष्य प्रमाणित किया जाना जरूरी नही है। महिला के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ही विश्वसनीय माना जायेगा क्योंकि अदालत का मानना है कि घर के अंदर हिंसा के साक्ष्य मिलना मुश्किल है।

इस कानून के लाभ :–घरेलू रिश्तों में रहतें हुए भी आपत्तिजनक व्यवहारों को सुधारने का पूरा मौका देता है। तात्कालीन व आपातकालीन कानून के रूप में काम करेगा। हिंसात्मक स्थितियों में तुरन्त रोकथाम कर घरेलू हिंसा से उबरने हेतु राहत देता है। इसकी प्रकिया दोंनों पक्षों को इतना समय देती है कि इस दौरान वे हिंसात्मक स्थितियों से बाहर आने व पारिवारिक जिन्दगी को हिंसा मुक्त बनाये रखने के लिये आपत्तिजनक व्यवहार से परहेज करें।

इस कानून के तहत मिलने वाली राहत –बचावकारी आदेश काउंसलिंग, क्षतिपूर्ति भरण पोषण बच्चों का संरक्षण और जरूरत पड़े तो रहने की जगह भी। बचावकारी आदेश के दौरान भी हिंसाकर्ता को पीड़ित महिला व बच्चों को गुजारा भत्ता देना होगा। पीड़ित महिला की मांग पर 18 साल से छोटे बच्चों को संरक्षण भी महिला को ही मिलेगा। महिला को चोट लगी होने की स्थिति में प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा स्वास्थ्य सुविधाऍ उपलब्ध कराई जायेगी एवं इसकी क्षतिपूर्ति हिंसाकर्ता द्वारा की जायेगी। अगर पीड़ित की रिपोर्ट से जज को ऐसा लगता है कि पीड़ित को हिंसाकर्ता से आगे भी खतरा है तो जज हिंसाकर्ता (पुरूष) को घर से बाहर रहने के आदेश भी दे सकता है। इन आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना, जेल या दोंनों एक साथ भी हो सकते हैं (एक साल की सजा, 20000 रूपयें जुर्माना)।

घर में रहने का अधिकार–इस कानून में महिला को घर मे रहने का अधिकार दिलवाया जाता है ना कि सम्पत्ति का अधिकार। अर्थात घर में रहना महिला का मौलिक अधिकार है। जिसके हनन पर वह आवाज उठा सकती है तथा हननकर्ता को सजा भी दिलवा सकती है। अर्थात इस कानून के तहत यदि कोई महिला घर के किसी भी भाग में निवास करती है चाहे उस घर में उसका स्वामित्व हो या न हो। साथ ही इस स्थिति में हिंसाकर्ता उस मकान को न तो बैच सकता है और ना ही उसे किसी और के नाम पर हस्तांतरित कर सकता है।

हिंसा पीड़ित महिला की मदद

1. महिलाओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ चुप्पी तोड़े। 2. हिंसा से पीड़ित महिला का सहयोग कर उन्हें जीने के लिए हौसला दें। 3. अखवार या संबंधित विभाग को पत्र के माध्यम से हिंसा की घटनाओं की भर्त्सना करें। 4. हिंसा की जानकारी मिलने पर हस्तक्षेप करे या संबंधित विभाग को या हमें सूचना देकर।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. मीनाक्षी निकुंज एवं पंवार (1994) '' नारी उत्पीड़न की समस्या एवं समाधान'' नई दिल्ली 2. Crime in India. (1995) National Crime Records Bureau. Delhi, 1995. 3. भट्ट श्री , (1997 – 98)'' वैवाहिक हिंसा और भारतीय आस्मिता '' पब्लिशर्स बीना (म.प्र.) 4. Bhatia A.,, (2000) NGO's in Women development Rawat Publication 5. कालकी गुलाबचन्द्र , (2001) म.प्र. में स्त्रियों के प्रति हिंसा से संबंधित अपराध। 6. बसन्ती बी एल, (2003)'' महिला एवं बाल कानून'' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद।